

**कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार वन मडल
माण्डव रोड धार (म.प्र.) 454001**

-Phon & Fax 07292&222250] Email - dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / २७६८
प्रति,

धार, दिनांक २१ / ०६ / २०२०

प्रबंधक,
रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड,
डीडी माल, ३ प्लॉर एम.पी. नगर भोपाल

विषय :- धार जिले में 4G भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केवल लाईन 4G PROJECT (OFC LAYING) Dharmpuri-Mandav Route तक निर्माण हेतु 0.2566 हेक्टेयर वन भूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबद। (प्र.क्र / FP/MP/Others/31041/2017)

संदर्भ :-

- (1) म. प्र. शासन वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक F-5/18/2002/10-3 दि. 18.11.04 एवं क्र. F- 5/18/2002/10-3 दि. 01.07.09 एवं क्र. F-5-11/2006/10-3 दि. 31.05.2014।
- (2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक F-11/2015/2637 दिनांक 28.10.15, 2727 दिनांक 20.09.2017 एवं 2846 दिनांक 05.09.2019, 1857 दि. 16.06.2020।
- (3) मुख्य वन संरक्षक(क्षे) इन्दौर वृत्त इन्दौर का पत्र क्र. / मा.चि / 2020 / 1718 दिनांक 19.3.2020
- (4) आपका पत्र दिनांक 11.2.2020।
- (5) इस कार्यालय का पत्र क्र. / मा.चि / 2020 / 1024 दिनांक 12.02.2020।

—००—

म.प्र. शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक F-5/18/2002/10-3 दि. 18.11.04 एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 में दिये गये निर्देशानुसार राईटे ऑफ वे के अंतर्गत वन भूमि में आप्टीकल फायबर केवल बिछाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति जारी करने हेतु वन भूमि व्यपवर्तन स्वीकृति के अधिकार वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय को प्रायोजित किये गये हैं। प्रकरण में प्राप्त निर्देशानुसार प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक इन्दौर वृत्त इन्दौर का पत्र क्र. / मा.चि / 2020 / 1718 दि. 19.3.2020 से किया गया है।

परिक्षेत्र	योजना का नाम	मार्ग का नाम जिसके बाहर वन क्षेत्र में लाईन डाली जाना प्रस्तावित है।	प्रभावित वन भूमि का विवरण (हे.) में				प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या
			कक्ष क्र.	लम्बाई मी. में	चौड़ाई मी. में	रकबा(हे.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
धामनोद	रिलायंस जियो डिजिटल लाईन	धरमपुरी माण्डव-मार्ग ऑप्टिकल फाईबर लाईल	287 288 289 291	262 3614 449 1380	0.45	0.0117 0.1626 0.0202 0.0621	-
योग :-			4	5705	0.45	0.2566	-

प्रकरण में आपके द्वारा पंजीयन शुल्क रूपये 5000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 25000/- ऑनलाईन ट्रेजरी चालान नम्बर 040694 दिनांक 07.06.2019 डीडी द्वारा राजस्व मद में जमा किया गया से प्रेषित किये गये हैं।

अतः रिलायंस जियो आप्टिकल फाईबर केवल डालने के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत संदर्भित पत्र अनुक्रमांक (1) में निर्धारित निम्नानुसार शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है-


1. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के क्षेत्र में आप्टिकल फाईबर केवल नहीं डाली जावेगी।
2. वन भूमि में केवल लाईन बिछाने का कार्य वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत किया जावेगा। राईट ऑफ वे, से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
3. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा तथा तकनीकी दृष्टि से लाईन डालने हेतु न्यूनतम वनभूमि का उपयोग किया जायेगा।
4. यदि प्रकरण में वृक्षों को हानि/काटा जाता है तो 10 गुना वृक्षों के वैकल्पिक वृक्षारोपण की शर्त अधिरोपित की जावेगी।

वन भूमि पर भूमेगत आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खतो का आकार 02 मीटर गहराई तथा 01 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा।

आप्टिकल फाइबर केबल लाईन का रखरखाव एवं दुरुस्ती का कार्य अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

7. समतलीकरण का कार्य आपके द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से ही अपने साधन द्वारा किया जावेगा।
8. खंती खोदते समय न तो वृक्षों को हानि पहुँचाई जाए तथा न ही खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को काटा जाए।
9. प्रकरण में नेट प्रजेन्ट वेल्यू से छूट है, परन्तु भविष्य में राज्य शासन द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू की मांग की जाती है तो या दर में वृद्धि होती है तो आपको अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
11. यदि आपके या आपके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि एवं किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित राशि आपके संस्थान से देय होगी।
12. वचन पत्र प्रस्तुत करे कि भविष्य में भारत सरकार एवं राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक म. प्र./क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी मान्य होगी।
13. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।
14. खंती खोदने या कार्य के दौरान वन्यप्राणियों को किसी भी प्रकार का कोई हानि या नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
15. आपके द्वारा या नियुक्त ठेकेदार अथवा श्रमिकों द्वारा अग्नि सुरक्षा, वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा का पालन किया जायेगा।
16. भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल लाईन प्रकरण में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका कमांक-202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय कि पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक/16/10/सात/2-ए/90 दिनांक 13.01.1997 में परिमाणित है के संबंध में आपके द्वारा ऐसे वनों की जानकारी निरंक दर्शायी है। यह स्वीकृति केवल वन भूमि के लिये जारी की जा रही है, जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है।
17. प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ई-पोर्टल पर जाकर ऑन लाईन राशि रु.100/- का केम्पा खाते के अदर्स मद में राशि जमा करे एवं प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड करे एवं हार्ड कापी 03-03 प्रतियों में इस कार्यालय को जमा करे, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके। जब तक यह कार्यालय औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं कर देता, तब तक मौका स्थल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाये।


वन मण्डलाधिकारी,

(क्ष.) वन मण्डल धार


धार, दिनांक 22/06/2020

पृ. क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 2769

प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म.प्र.
- (2) मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त इन्दौर
- (3) कलेक्टर, जिला धार
- की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (4) उप वन मण्डलाधिकारी, धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (5) वन परिक्षेत्राधिकारी, धामनोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित (जियो

आप्टिकल फाइबर केबल धरमपुरी-माण्डल मार्ग प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग से प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति (कार्य करने की अनुमति) पृथक से जारी की जायेगी। जब तक यह कार्यालय औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं कर देता, तब तक मौका स्थल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होने दिया जावे। शर्तों का उल्लंघन होने पर वैधानिक कार्यवाही करें।


वन मण्डलाधिकारी,

(क्ष.) वन मण्डल धार